

01 राशि गोवंश (बछड़ा) व 01 अदद अवैध चाकू के साथ गौ तस्कर गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 राशि गोवंश (बछड़ा) के साथ एक अभियुक्त नाम पता अब्दुल गफ्फार उर्फ बाले निवासी पुरवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 01 राशि गोवंश व 01 अदद नाजायज चाकू के साथ ऊचहराकला से गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर क्रमशः 15 / 2021 धारा 3 / 5ए / 8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व अवैध चाकू के संबन्ध में मु0अ0सं0 16 / 2021 धारा 4/ 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तारी टीम:- उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह (प्रभारी चौकी बाघनगर), हे0कां0 रामपाल तिवारी, कां0 आनन्द कुमार, कां0 प्रमोद कुमार ।

पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 90 / 2020 धारा 3/5/6/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त नाम पता इंसाफ अली पुत्र मोबीन निवासी करमाखान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को करमाखान से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.03.2020 को 01 राशि गोवंश के साथ पकड़े जाने पर भाग गया था उक्त के क्रम में दिनांक 30.03.2020 को थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 11.01.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री श्रीप्रकाश यादव, मय हमराह हे0कां0 रामदरश यादव, कां0 मोतीलाल यादव, कां0 आशुतोष पाण्डेय, कां0 रोहित मौर्य द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 85 लीटर अवैध कच्ची
शराब बरामद, 11 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 05-10-10-05-05-10 कुल 45 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 05 अभियुक्त नाम पता 1- दुरजी देवी पत्नी वृजमोहन निवासी बंजरिया 2- वीरेन्द्र पुत्र रा जेन्द्र पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी पचेठी 3- रामनाथ पुत्र कुंजी प्रसाद निवासी राजेडीहा 4- रामचन्द्र निषाद पुत्र स्व0 रामअधारे निवासी जोगिया 5- भोला निषाद पुत्र स्व0 कोमल निषाद निवासी जोगिया 6-

झीनक पुत्र चोनर निवासी डिहुरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 9 / 2021, 10 / 2021, 11 / 2021 12 / 2021, 13 / 2021 व 14 / 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 10 ली0 – 05 ली0 कुल 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1- ध्रुवनाथ पुत्र जयश्री निवासी गायघाट थाना कैम्पीयरगंज जनपद गोरखपुर 2- विजय सिंह पुत्र जयसिंह निवासी चौवेडीहवा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 13/2021 व 14/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना महली पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता मुरालीपुत्र भूखल निवासी पाकड़घाट थाना सीकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर थाना महली पर मु0अ0सं0 15/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता बिरजु बेलदार पुत्र हरिराम बेलदार निवासी उत्तर कला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 22/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्ता नाम पता गलूरी देवी पत्नी रामकिशुन निवासिनी जंगलबेलहर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 05 /2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

जनपद पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता हरिपाल पुत्र रामचेत निवासी सेवइपार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता बिल्ला उर्फ बिरला पुत्र खालिद निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना महली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 2 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 2 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1493 द्वारा जमीनी विवाद / मारपीट को कराया गया शांत – पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत कटरा दूबे से इवेन्ट संख्या 07377 से कालर ने जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 04 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर दोनों पक्ष को विधिक कार्यवाही हेतु थाना बखिरा को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 इन्द्रजीत यादव, आ0 सुजीत कुमार सिंह, हो0चा0 संतोष दुबे ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 111 वाहनो से 106000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 11.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 111 वाहनो से 106000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।